CNR NO. UPDE 0100 3379 2026

न्यायालय सत्र न्यायाधीश, देवरिया।

पीठासीन अधिकारी–धनेन्द्र प्रताप सिंह, (उच्चतर न्यायिक सेवा)--UP2016

जमानत प्रार्थना पत्र संख्या–1373/2026

धीरेन्द्र कुमार गौड़ पुत्र रामप्रवेश गौड़
निवासी–महुआरी, थाना–हाटा, जिला–कुशीनगर।

प्रार्थी/अभियुक्त,

बनाम

उत्तर प्रदेश सरकार प्रतिपक्षी,

मुकदमा अपराध संख्या–352/2026
धारा–105 भा0 न्या0 सं0
थाना–कोतवाली, जिला–देवरिया।

निस्तारण जमानत प्रार्थना–पत्र

1. प्रस्तुत जमानत प्रार्थना–पत्र प्रार्थी/अभियुक्त **धीरेन्द्र कुमार गौड़,** जो अपराध संख्या–352/2026, धारा–105 भा0 न्या0 सं0, थाना–कोतवाली, जनपद देवरिया के मामले में न्यायिक अभिरक्षा में निरूद्ध है, के द्वारा प्रस्तुत किया गया है।

2. प्रार्थी/अभियुक्त के जमानत प्रार्थना–पत्र के साथ शपथकर्ता रामप्रवेश गौड़, द्वारा इस आशय का शपथ–पत्र प्रस्तुत किया गया कि अभियुक्त का यह प्रथम जमानत प्रार्थना–पत्र है।

3. प्रथम सूचनाकर्ता सोमनाथ राव द्वारा थाना कोतवाली, जिला देवरिया में इस आशय की प्राथमिकी दर्ज करायी गई कि उसके भतीजे रितेश राव पुत्र बृजेश राव निवासी चन्देल भवन राघवनगर, थाना कोतवाली, जिला देवरिया जो अत्यन्त कुशाग्र बुद्धि एवं तेज व्यक्तित्व के व्यक्ति थे, जिन्हें शराब पीने की लत लग गई थी जिसको छुड़ाने के लिए उनको अवतार नशा मुक्ति केन्द्र, बेलडाड रोड, देवरिया में दिनांक 11.05.2026 को भर्ती कराया गया था, जहां पर उनका उपचार चल रहा था। विदित हो कि उक्त नशा मुक्ति केन्द्र पर ही दिनांक 21/22.05.2026 को वहां पर भर्ती सुरेश यादव पुत्र लालवचन यादव की उचित उपचार के अभाव तथा यातना/प्रताड़ना के कारण संदिग्ध परिस्थितियों में मृत्यु हो गयी थी जिसको उसका भतीजा रितेश राव उजागर कर रहा था तथा यातना–प्रताड़ना का विरोध कर रहा था जिससे उक्त नशा मुक्ति केन्द्र के व्यवस्थापक पंकज मिश्रा व नशा मुक्ति केन्द्र के संचालक एवं उससे संबंधित लोग काफी नाराज थे। उसके छोटे भाई बृजेश राव की पत्नी श्रीमती गायत्री राव दिनांक 25.05.2026 को सायंकाल लगभग 04:30 बजे अपने पुत्र से मिलने नशा मुक्ति केन्द्र गई थी, किन्तु उक्त

केन्द्र के व्यवस्थापक एवं कर्मचारियों ने उनको उनके पुत्र से मिलने नहीं दिया एवं सी.सी.टी.वी. कैमरे के माध्यम से दिखाकर वापस भेज दिया। उक्त नशा मुक्ति केन्द्र के लोगों को यह भय था कि रितेश केन्द्र की पोल पट्टी खोल देगा तथा सुरेश यादव की मृत्यु का कारण उजागर कर देगा। इससे भयभीत होकर वे लोग उसके भतीजे रितेश राव को सलीके से खत्म कर देना चाहते थे। उसके भतीजे के उन लोगों ने कुछ ऐसा कृत्य किया जिससे उसकी तबीयत अत्यधिक खराब हो गयी तथा वहीं पर उसकी मृत्यु हो गयी। दिनांक 25.05.26 की सांय लगभग 07.30 बजे उसके घर उक्त केन्द्र से फोन आया कि रितेश की तबीयत काफी खराब हो गयी है। आप यहां से ले जाकर डाक्टर को दिखायें। सूचना प्राप्त होने के उपरान्त रितेश की माता श्रीमती गायत्री राव अपने ड्राईवर अशोक के साथ नशा मुक्ति केन्द्र पर पंहुची तो वहां उपस्थित व्यस्थापक एवं कर्मचारियों ने अचानक हड़बड़ी दिखाते हुए रितेश को उनकी माता की गाड़ी में लाद दिया, लादते समय रितेश राव के शरीर में कोई हलचल नहीं थी। रितेश राव की माता एवं ड्राईवर हड़बड़ी व घबराहट में सही इलाज के लिए इमरजेन्सी वार्ड देवरिया लेकर गये जहां पर डाक्टर ने देखते ही कहा कि इनकी मृत्यु हो चुकी है। यह सुनकर उनकी माता रोने चिल्लाने लगी तथा परिवार के सदस्य एंव रिश्तेदार जिला अस्पताल पंहुच गये। अवतार नशा मुक्ति केन्द्र के पंकज मिश्रा एवं उनसे सम्बन्धी लोगों ने उसके भतीजे की हत्या कर दी है। अतः उचित कार्यवाही किये जाने की मांग की गई है।

4. प्रथम सूचनाकर्ता के उपरोक्त प्रार्थना–पत्र के आधार पर दिनांक 29.05.2026 को अभियुक्तगण नशा मुक्ति केन्द्र के व्यवस्थापक पंकज मिश्रा, नशा मुक्ति केन्द्र के संचालक अज्ञात एवं नशा मुक्ति केन्द्र के कर्मचारीगण अज्ञात के विरूद्ध थाना–कोतवाली, जिला–देवरिया में मुकदमा अपराध संख्या–352/2026, अंतर्गत धारा–105 भा0 न्या0 सं0 के तहत मुकदमा पंजीकृत किया गया। दौरान विवेचना प्रार्थी/अभियुक्त का नाम प्रकाश में आया है।

5. प्रार्थी/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा मुख्यतः ये तर्क प्रस्तुत किये गये हैं कि वह निर्दोष है, उसने कोई अपराध नहीं किया है तथा उसे स्थानीय पुलिस द्वारा रंजिशन तरीके से फंसाया गया है। प्रार्थी/अभियुक्त उक्त अवतार नशा मुक्ति केन्द्र का न तो संचालक है, न ही व्यवस्थापक है और न ही उसका उक्त केंद्र के प्रबंधन या मुख्य निर्णयों में कोई वैधानिक या प्रशासनिक हस्तक्षेप है। प्रथम सूचना रिपोर्ट में मुख्य रूप से केंद्र के व्यवस्थापक पंकज मिश्रा को नामजद किया गया है तथा प्रार्थी/अभियुक्त धीरेन्द्र कुमार गौड़ का नाम एफ.आई.आर. में कहीं भी अंकित नहीं है। प्रार्थी/अभियुक्त को केवल सम्बन्धित लोग व कर्मचारियों के सामान्य व संदिग्ध उल्लेख के आधार पर पुलिस द्वारा दुर्भावनापूर्ण तरीके से घसीटा गया है। कथित घटना दिनांक 25.05.2026 की बताई गई है, जबकि प्रार्थी/अभियुक्त को इस मामले में काफी दिनों बाद केवल संदेह और पुलिसिया मनगढ़ंत कहानी के आधार पर सह अभियुक्त बना दिया गया है, जिसका उससे कोई सरोकार नहीं है। प्रार्थी/अभियुक्त उक्त नशा मुक्ति केंद्र में केवल एक

सेवादार के रूप में कार्य करता था, जिसका कार्य केवल केंद्र की सामान्य देख–रेख में सहयोग करना था। प्रार्थी/अभियुक्त का मृतक रितेश राव से कोई व्यक्तिगत द्वेष, दुश्मनी या रंजिश नहीं थी। कथित घटना या मृतक रितेश राव की मृत्यु से प्रार्थी/अभियुक्त का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कोई संबंध नहीं है। प्रार्थी/अभियुक्त के पास मृतक को प्रताड़ित करने या उसे नुकसान पहुँचाने का कोई भी मकसद (Motive) मौजूद नहीं था। वादी मुकदमा स्वयं घटना के चश्मदीद गवाह नहीं हैं। उनकी पूरी कहानी केवल आशंकाओं, अफवाहों और मनगढ़ंत तथ्यों पर आधारित है, जिसका कानून की नजर में कोई ठोस आधार नहीं है। मृतक रितेश राव अत्यधिक शराब पीने का आदी था और नशा मुक्ति केंद्र में आने से पूर्व ही उसका स्वास्थ्य अत्यंत जर्जर और गंभीर स्थिति में था। उसकी मृत्यु स्वाभाविक रूप से बीमारी या अत्यधिक नशा छोड़ने के कारण उत्पन्न शारीरिक जटिलताओं (Withdrawal Symptoms) के फलस्वरूप हुई है, न कि किसी प्रताड़ना के कारण। प्रार्थी/अभियुक्त ने कभी भी मृतक रितेश राव या केंद्र के किसी अन्य मरीज के साथ किसी भी प्रकार की मारपीट, यातना या क्रूरता नहीं की है तथा वह हमेशा अपने कर्तव्यों का पालन मानवीय दृष्टिकोण से करता रहा है। धारा–105 BNS (गैर इरादतन हत्या) के आवश्यक तत्व प्रार्थी/अभियुक्त के विरुद्ध कतई आकर्षित नहीं होते हैं तथा उसका न तो ऐसा कोई आशय (Intention) था और न ही ऐसा कोई ज्ञान (Knowledge) था कि उसके किसी कृत्य से किसी की मृत्यु कारित हो सकती है। पुलिस द्वारा प्रार्थी/अभियुक्त के कब्जे से कोई भी आपत्तिजनक वस्तु, हथियार या ऐसा कोई साक्ष्य बरामद नहीं किया गया है जो उसे इस कथित अपराध से जोड़ता हो। कथित बरामदगी पूरी तरह फर्जी और कागजी है। मामले की विवेचना के दौरान प्रार्थी/अभियुक्त पुलिस को पूर्ण सहयोग करने के लिए तैयार है। उपरोक्त अपराध संख्या में सह अभियुक्तों की जमानत श्रीमान जी के न्यायालय से हो चुकी है। प्रार्थी/अभियुक्त का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। प्रार्थी/अभियुक्त दिनांक 31.05.2026 से जिला कारागार देवरिया में निरूद्ध है। तद्नुसार प्रार्थी/अभियुक्त को जमानत पर रिहा किये जाने का निवेदन किया गया है।

6. अभियोजन पक्ष की ओर से विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) एवं प्रथम सूचनाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने जमानत प्रार्थना–पत्र का विरोध करते हुए तर्क प्रस्तुत किया कि प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा सहअभियुक्तगण के साथ मिलकर अवतार नशा मुक्ति केन्द्र में प्रथम सूचनाकर्ता के भतीजे रितेश राव के साथ ऐसा कृत्य किया, जिससे उसकी तबीयत अत्यधिक खराब हो जाने के कारण उसकी मृत्यु हो गई। अपराध की गंभीरता एवं दण्ड की मात्रा को दृष्टिगत रखते हुए, जमानत प्रार्थना–पत्र निरस्त किये जाने का निवेदन किया गया है।

7. प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र पर उनके विद्वान अधिवक्ता, वादी की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्तागण एवं विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) के तर्कों को सुना गया एवं पत्रावली पर उपलब्ध प्रपत्रों का सम्यक् रूप से अवलोकन किया गया।

8. प्रस्तुत प्रकरण से संबंधित केस डायरी एवं संबंधित अभियोजन प्रपत्रों के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रस्तुत प्रकरण में प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा सह अभियुक्तगण के साथ मिलकर अवतार नशा मुक्ति केन्द्र में प्रथम सूचनाकर्ता के भतीजे रितेश राव के साथ ऐसा कृत्य करने जिससे उसकी तबीयत अत्यधिक खराब हो जाने एवं उसकी मृत्यु हो जाने का तथ्य प्रथम सूचना रिपोर्ट में अंकित है। प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा अपने जमानत प्रार्थना–पत्र में अभियोजन के उपरोक्त कथनों से इंकार किया गया है। प्रपत्रों के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रस्तुत मामले में रितेश राव को जिसे की शराब पीने की लत लग गई थी, उसे शराब छुड़ाने के लिए नशा मुक्ति केन्द्र में भर्ती कराया गया था जहां उसका उपचार चल रहा था और नशा मुक्ति केन्द्र पर ही उसकी मृत्यु हो गई। प्रस्तुत मामले में मृतक की मृत्यु दिनांक 25.05.2026 को होना दर्शित है, जिसकी प्रथम सूचना रिपोर्ट अत्यधिक विलम्ब से दिनांक 29.05.2026 को दर्ज करायी गयी है एवं विलम्ब का कोई समुचित एवं विश्वसनीय स्पष्टीकरण प्रस्तुत नहीं किया गया है। मृतक रितेश राव के पोस्टमार्टम रिपोर्ट में Multiple hemorrhagic petechias through out both lateral aspect of upper trunk and medial aspect of upper arm, on cutting clotted blood present अंकित है तथा मृत्यु का कारण Could not be ascertained अंकित है। प्रस्तुत प्रकरण में मृतक के पोस्टमार्टम में उसके शरीर के किसी मर्म स्थल पर प्राणघातक चोटे आने का कोई अंकन नहीं है। स्वाभाविकतः चोटों की प्रकृति साधारण रही है।

धारा–105 भारतीय न्याय संहिता के अपराध के गठन के लिए अभियुक्त के आशय का महत्वपूर्ण स्थान है। प्रस्तुत प्रकरण में अभियुक्त द्वारा मृतक को जान से मारने की नियत से उपहति कारित किये जाने का कोई उल्लेख नहीं है। मृतक के पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी ऐसी कोई चोट दर्शित नहीं है, जो कि प्राणघातक हो और उससे मृत्यु कारित होना अति संभावित हो। प्रार्थी/अभियुक्त दिनांक 31.05.2026 से जिला कारागार में निरूद्ध है।

9. अतः मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए एवं मामले के गुण–दोष पर बिना विचार व्यक्त किये, उपरोक्त प्रार्थी/अभियुक्त को जमानत पर रिहा किये जाने का पर्याप्त आधार है। तद्नुसार प्रस्तुत जमानत प्रार्थना–पत्र सशर्त स्वीकार किये जाने योग्य है

आदेश

प्रार्थी/अभियुक्त **धीरेन्द्र कुमार गौड़** की ओर से प्रस्तुत जमानत प्रार्थना–पत्र सशर्त स्वीकार किया जाता है। प्रार्थी/अभियुक्त उपरोक्त द्वारा **मु0–1,00,000/–रूपये (एक लाख रूपये) की दो प्रतिभू एवं इतनी ही राशि का व्यक्तिगत बंध–पत्र** संबंधित न्यायिक मजिस्ट्रेट की सन्तुष्टि पर, प्रस्तुत करने के उपरान्त निम्न शर्तों के साथ, अभियुक्त को जमानत पर रिहा किया जायेः–

1. प्रार्थी/अभियुक्त इस केस में नियत प्रत्येक तिथि पर न्यायालय के समक्ष निर्धारित समय

पर उपस्थित होगा।

2. प्रार्थी/अभियुक्त गवाहान को डरायेगा, धमकायेगा नहीं एवं विचारण में पूर्ण सहयोग करेगा।

3. प्रार्थी/अभियुक्त स्वयं के निवास स्थान एवं उनके प्रतिभू के निवास स्थान में परिवर्तन में इसकी सूचना न्यायालय को उपलब्ध करायेगा।

4. प्रार्थी/अभियुक्त न्यायालय में परीक्षण के दौरान जब अभियोजन के साक्षी, साक्ष्य हेतु उपस्थित रहेंगे, तब किसी आधार पर स्थगन प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत नहीं करेगा।

5. प्रार्थी/अभियुक्त जमानत के दौरान अपराध की पुनरावृत्ति नहीं करेगा। यदि वह अपराध की पुनरावृत्ति करते हुए पकड़ा जाये तो वह जमानत निरस्त किये जाने का आधार होगा।

इस आदेश में दिये गये निष्कर्ष मामले के गुण–दोष को प्रभावित नहीं करेंगे।

दिनांक–23.07.2026

(धनेन्द्र प्रताप सिंह)
सत्र न्यायाधीश,
देवरिया।